## न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015 निगरानी 1806-PBR-15

लक्ष्मीनारायण आ. श्री नर्बद सिह आयु वयस्क ...........निगरानीकर्ता
निवासी ग्राम रामदासी तहसील इछावर जिला सीहोर

विरुद्ध

...........रेस्पाण्डेंट

म0प्र0 शासन

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 15/05/2015 प्रकरण कमांक 3/अ-68/14-15 (म0प्र0 शासन विरुद्ध लक्ष्मीनारायण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इछावर द्वारा पारित किया गया।**

श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 27-5-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
27-5-15
30-5-15

**प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-**

01. **प्रकरण कमांक 3/अ-68/14-15 (म0प्र0 शासन विरुद्ध लक्ष्मीनारायण) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इछावर द्वारा पारित दिनांक 15/05/2015**
02. **प्रकरण कमांक 31/अपील/14-15 अनुविभागीय अधिकारी महोदय इछावर**
03. **प्रकरण कमांक 78/अ-68/13-14 पारित आदेश दिनांक 29/03/2014 द्वारा श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय इछावर**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ अनुविभागयी अधिकारी महोदय, इछावर के न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

**प्रकरण के तथ्य**

01. यह कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा भूमि सर्वे नंबर 213/1ख रकबा 0.607 हैक्टेयर स्थित ग्राम रामदासी तहसील इछावर जिला सीहोर म.प्र.शासन की भूमि बताते हुये भूमि सर्वे नंबर 213/1ख का भाग 0.100 हेक्टेयर पर अपीलार्थी का बगैर सीमांकन किये कपोल कल्पित प्रकिया अपनाते हुये अवैधानिक तरीके से बेदखली आदेश दिनांक 29/03/2014 को पारित किया गया है जिसे अपीलार्थी प्रथम अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील इछावर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ धारा 52 म.प्र.भू.रा. सं. का वास्ते स्थगन हेतु संलग्न किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा म.प्र.भू.रा. ... 248 के विपरीत जाकर दिनांक 15/05/2015 को विधिक प्रकिया ...

केमु

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1306–पीबीआर/2015 जिला–सीहोर

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12–01–17 | आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमसिंह ठाकुर उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।<br>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, इच्छावर का प्र0क्र0 03/अ–68/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है ।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता के लिखित तर्कों पर विचार किया। आवेदक ने लिखित तर्कों में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि सर्वे नं0 213/1ख का रकबा 0.607 है0 स्थित ग्राम रामदासी तहसील इच्छावर में से 0.100 है0 पर खलिहान एवं मकान अर्थात् 70 ग 24 वर्गफिट पर पक्का निर्माण अवैध रूप से बताते हुये मन माफिक तरीके से प्रकरण क्रमांक 78/अ–63/13–14 के माध्यम से धारा 248 का हवाला देते हुये आदेश पारित किया गया, जबकि प्रकरण के साथ संलग्न सर्वे नं0 293/1क का उल्लेख करते हुये स्कूल का बताया गया । अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय प्रथम दृष्टया | |

यह तय नहीं कर पाया कि निगरानीकर्ता का अवैधानिक कब्जा किस सर्वे नं0 के कितने भाग पर है। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि वास्तव में भूमि का सीमांकन ही नहीं किया गया, अर्थात् मात्र राजनैतिक द्वैषता के आधार पर एवं चुनावी रंजिश के कारण बाला–बाला प्रकरण जानबूझकर तैयार किया गया एवं यह भी सूक्ष्मता से नहीं देखा गया कि किस सर्वे नं0 पर प्रकरण बनाया जा रहा है एवं किस सर्वे नं0 पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 248 के तहत गंभीर प्रकृति की कार्यवाही को घोर लापरवाही के साथ संचालित किया, जिसके परिणाम स्वरूप घोर अवैधता एवं अवैधानिकता के साथ दुषित आदेश बेदखली का पारित किया गया। आदेश की अपील के प्रचलन के दौरान ही प्रकरण क्रमांक 3/अ–68/14–15 का निर्माण करते हुये दिनांक 15.05.2015 को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर जेल वारंट जारी किया जावे, ऐसा आदेश पारित किया । आवेदक शासकीय सेवा में सेवारत है एवं माध्यमिक शाला रामदासी में वर्तमान में प्रधान अध्यापक हे पद पर विद्यमान है एवं ताउम्र शासन की सेवा पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से की है तथा वर्तमान में भी शासन की सेवा में लगभग 21 वर्षो से उसी ग्राम में उसी स्कूल में दे रहे है। वर्तमान में आवेदक की सेवानिवृत्ति में लगभग दो वर्ष शेष रहे है। ऐसी अवस्था में अवैधानिक आदेश के आधार पर आवेदक के विरूद्ध जेल वारंट का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये एवं जेल वारंट को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

R 1306-PBR)15

4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का नं0 43, तहसील इच्छावर ने आवेदक के विरूद्ध ग्राम रामदासी में स्थित शासकीय भूमि मद खेल मैदान खसरा नम्बर 213/1 ख रकबा 0.607 है0 में से रकबा 0.100 का भाग 0.100 है0 पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लेने संबंधी अतिक्रमण प्रतिवेदन, न्यायालय नायब तहसीलदार, इच्छावर के समक्ष पेश किया, इसी प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत प्रकरण क्रमांक 78/अ–68/2013–14 पर पंजीबद्ध किया जाकर, आवेदक को कारण बताओ सूचना जारी कर आहूत किया गया । कारण बताओ सूचना के उपरांत भी आवेदक के उपस्थित न होने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये, हल्का पटवारी के कथन अंकित किये गये तथा वादग्रस्त भूमि का निरीक्षण किया गया । ग्राम रामदासी में स्थित शासकीय भूमि मद खेल मैदान खसरा नम्बर 213/1 ख रकबा 0.607 है0 में से रकबा 0.100 का भाग 0.100 है0 पर आवेदक का अवैध कब्जा सिद्ध पाया गया । अवैध कब्जा सिद्ध होने पर नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत बेदखली का आदेश दिनांक 29.03.2014 को पारित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील इच्छावर के समक्ष प्रस्तुत की गई, साथ ही संहिता की धारा 52 का स्थंगन हेतु आवेदन पत्र संलग्न किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, इच्छावर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–68/14–15 में पारित आदेश दिनांक15.05.15 द्वारा स्थंगन का आवेदन निरस्त कर आवेदक को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिये जाने के बाद कोई जवाब प्राप्त न होने से उसके विरूद्ध जेल

वारंट जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, इच्छावर ने जो आदेश पारित किया वह विधिसंगत है, क्योंकि आवेदक ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया । जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में कारण बताओ सूचना जारी किया गया एवं जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया, किन्तु तब भी आवेदक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक ने उक्त वादग्रस्त भूमि संबंधी तथ्यों को छिपाया है। किसी भी शासकीय भूमि पर बिना किसी शासकीय योजना के तहत अवैध कब्जा करना अवैधानिक एवं अपराध के श्रेणी में आता है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15.05.2015 विधिनुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, इच्छावर द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 15.05.2015 विधिसंगत पाये जाने से यथावत रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य